हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 134

सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन,1943(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 02.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

अध्यक्ष द्वारा उद्गार

"**सत्तापक्ष एवं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय** को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं। अध्यक्ष महोदय ने सभी माननीय सदस्यों का जन्म दिवस पर बधाई देने के लिए आभार प्रकट किया।"

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 5115 से 5119, 5121 व 5122 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्नः 5121 के उत्तर पर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा

गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 5123 से 5126 तथा 5128 से 5155 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 5127 विलोपित किया गया।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2133 से 2175 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने यूक्रेन में फंसे सभी हिमाचलियों की सुरक्षित घर वापसी बारे वक्तव्य दिया।

3. कागज़ात सभा पटल पर

श्री राकेश पठानिया, वन मन्त्री ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित के 44वें वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के 147वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बने 21वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित

अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 134वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बने 91वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री बलबीर सिंह, सभापति, कल्याण समित** (वर्ष 2021-22) ने समिति का 43वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः31-जनजातीय विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री विनोद कुमार, सभापति, मानव विकास समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 30वां मूल प्रतिवेदन जोकि मांग संख्याः 9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का 31वां मूल प्रतिवेदन जोकि मांग संख्याः 30-विविध सामान्य सेवायें के अन्तर्गत भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

(4) **श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति का 30वां मूल प्रतिवेदन जोकि मांग संख्याः 28- शहरी विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(5) **श्री बलबीर सिंह वर्मा, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति का 27वां मूल प्रतिवेदन जोकि मांग संख्याः 14-पशुपालन विभाग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

5. <u>विधायी कार्य</u>

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन)विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 3) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 2)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 2) पुरःस्थापित हुआ।

अध्यक्ष द्वारा सूचना

"मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि विधान सभा के बजट सत्र का समापन कल होगा और इस सुअवसर पर आज दिनांक 14.03.2022 को माननीय मुख्य मंत्री, मंत्रिगणों एवं विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन सांय 7.15 बजे होटल पीटरहॉफ में किया जा रहा है। अतः आप सभी सादर आमंत्रित हैं।"

सदस्य द्वारा सदन के ध्यानार्थ मामला

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, सदस्य ने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना की। उन्होंने बताया कि उनके चुनाव क्षेत्र में जिन विधायक प्राथमिकता के कार्यों का उद्घाटन व

शिलान्यास दो वर्ष पूर्व माननीय मुख्य मंत्री द्वारा ऑनलाइन किया गया था, पिछले दिनों उन्हीं उद्घाटनों व शिलान्यास पट्टिकाओं का एक बार फिर से स्थापना कार्यक्रम ऐसे सदस्यों द्वारा लोगों को बुलाकर किया गया जोकि स्वयं चुनाव हारे हुए थे। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि इस प्रकार के अलोकतांत्रिक व जनता को उकसाने वाले कार्यों पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है लेकिन इस बात के आदेश जरूर करेंगे कि शिलान्यास की जगह पर फिर से पट्टिका न लगे हालांकि भूमि पूजन की प्रक्रिया करने में कोई आपत्ति नहीं है।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री राकेश सिंघा, सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से विषय उठाया कि सदन में जो दो बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इन बिलों की कॉपी जिस दिन ये सदन स्थगित किया गया था उस दिन देर रात को पहुंची और उस समय तक बहुत से माननीय सदस्य घर जा चुके थे और क्योंकि यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए।

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने विधान सभा के निकट राज्य पुस्तकालय को 24 घण्टे खुला रखने के अलावा वहां पर सफाई कर्मचारी तथा बच्चों को बैठने हेतु उचित व्यवस्था बारे विषय उठाया।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यह बात सत्य है कि इस पुस्तकालय में बच्चों को बैठने के लिए स्थान कम पड़ रहा है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि यदि शिमला में पुस्तकालय खोलने के लिए कोई उचित स्थान उपलब्ध हो जाता है तो वहां पर पुस्तकालय खोलेंगे। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत भी शिमला में 4-5 अलग-अलग स्थानों पर बुक कैफे बनाने का प्रस्ताव है जिसमें थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि राज्य पुस्तकालय को 24X7 खुला रखने हेतु अभी कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इसको मोनिटर करने के लिए मैकेनिज्म डवलप करके मैन पावर प्लान करना पड़ेगा। इसलिए यदि व्यावहारिक लगेगा तो इस बारे में अवश्य विचार किया जाएगा।

6. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान

मांग संख्याः 7 (पुलिस और सम्बद्ध संगठन)

कटौती प्रस्ताव पर चर्चा जारी -

निम्नलिखित ने चर्चा की -

1. श्री नन्द लाल
2. श्री सतपाल सिंह रायजादा

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

मांग संख्याः 10 (लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 10 (लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन) के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः 34,32,63,74,000/- और 12,94,54,00,000/-रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्याः 10 पर श्रीमती आशा कुमारी (सांकेतिक कटौती), श्री जगत सिंह नेगी, श्री हर्षवर्धन चौहाऩ, श्री नन्द लाल, श्री राजेन्द्र राणा, श्री मोहन लाल ब्राक्टा, श्री रोहित ठाकुर, श्री राकेश सिंघा, श्री विक्रमादित्य सिंह, श्री आशीष बुटेल, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, श्री पवन काज़ल, श्री भवानी सिंह पठानिया तथा श्री संजय अवस्थी की ओर से पांच कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्रीमती आशा कुमारी
2. श्री जगत सिंह नेगी

(04.45 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी और श्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन में कोरम पूरा न होने बारे उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया, जिस पर उपाध्यक्ष महोदय ने मुख्य सचेतक और उप-मुख्य सचेतक को पूर्ण कोरम सुनिश्चित करने हेतु कहा।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से विषय उठाया कि आज चौड़ा मैदान में युवा कांग्रेस के लोगों द्वारा बेरोज़गारी को लेकर निकाली जा रही रैली के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया जिसके कारण 10-12 युवाओं को चोटें आई हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले में संज्ञान लेने के अलावा यह भी चाहा कि इसमें पुलिसवालों ने जो गलती की है उसके लिए उन पर उचित कार्रवाई की जाए।

3. श्री हर्षवर्धन चौहान
4. श्री नन्द लाल
5. श्री राजेन्द्र राणा
6. श्री मोहन लाल ब्राक्टा

श्रीमती आशा कुमारी, सदस्या ने कोरम पूरा न होने बारे पुनः उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान दिलाया जिस पर उन्होंने मुख्य सचेतक व उप-मुख्य सचेतक कोरम पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कहा।

7. श्री रोहित ठाकुर

सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए कहा कि जो राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्लम वासियों को सम्पत्ति का अधिकार देना है, उसका बिल माननीय सदस्यों को अभी दिया जा रहा है और कल यह बिल पास होना है। उन्होंने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि बिल को रखने का एक समय और तरीका होता है क्योंकि माननीय सदस्यों को बिल स्टडी भी करना होता है।

श्रीमती आशा कुमारी, सदस्या ने भी आपत्ति जताई कि पहले माननीय सदस्यों को 8.00 बजे तक अमैंडमैंट देने हेतु नोटिस आया और फिर उसके

बाद बिल अब आ रहा है। इसलिए इस बिल को तत्काल विड्रो किया जाए क्योंकि ऐसा नियम ही अलाउ नहीं करते हैं।

(इस बात पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में तीखी नोंकझोंक हुई।)

(06.40 बजे अपराह्न सदन की बैठक पांच मिनट के लिए स्थगित की गई।)

(06.45 बजे अपराह्न सदन की बैठक पुनः आरम्भ हुई।

(कांग्रेस विधायक दल के सदस्य और सी.पी.आई.(एम) के श्री राकेश सिंघा बिल की प्रतियां लेकर अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

शहरी विकास मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जब भी कोई बिल सदन में आता है तो उसकी पहले पुरःस्थापना होती है और सदन में वह पीठ की ओर से पुकारा जाता है और मंत्री उसको पुरःस्थापित करता है। अभी यह बिल पुरःस्थापित नहीं हुआ है। अभी केवल विधान सभा को बिल दिया गया है और पत्र लिखा गया है कि यह जरूरी मैटर है इसलिए इसको सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। क्योंकि सचिवालय द्वारा एडवांस में टाइप कर दिया जाता है कि जब यह बिल पुरःस्थापित हो जाएगा तो उसके बाद इसे सर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो सदन में गलती से यह कागज सर्कुलेट हो गया है। यह मानवीय त्रुटि है।

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य द्वारा शहरी विकास मंत्री के स्पष्टीकरण पर असंतुष्टि व्यक्त की गई जिस पर शहरी विकास मंत्री ने पुनः स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई भी कागजात जो सदन में दिए जाते हैं वे विधान सभा सचिवालय द्वारा दिए जाते हैं और विधान सभा सचिवालय स्वतंत्र होता है, वह किसी मंत्री के अण्डर नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था देते हुए कहा कि इस सारे मामले को देखेंगे कि किसकी तरफ से इस तरह की भूल हुई है। यह सही है कि बिल के सर्कुलेशन के समय में गड़बड़ हुई है लेकिन उसमें आसन देखेगा कि क्या हो सकता है और अमैंडमैंट्स के लिए 11.00 बजे तक का समय दिया गया है।

(विरोध-स्वरूप विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर आपत्ति व्यक्त करने लगे।)

मुख्य मंत्री ने कहा कि संसदीय कार्यमंत्री ने कह दिया है कि इसमें मानवीय त्रुटि हुई है तो विपक्ष को इस बात को मान लेना चाहिए। अभी यह बिल पुरःस्थापित होना है और उसके बाद इस पर चर्चा होनी है।

श्री हर्षवर्धन चौहान, सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए मुद्दा उठाया कि यह बात सही है कि त्रुटि हो सकती है लेकिन यह बिल पुरःस्थापित होने के बाद सर्कुलेट किया गया है और मंत्री जी कह रहे हैं कि यह कागज झूठा है। यदि बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो मंत्री जी बिल को वापिस ले लें।

(07.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 07.10 बजे तक बढ़ाई गई।)

5.(क) <u>विधायी कार्य</u>

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

(i) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

(07.02 बजे अपराह्न विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 5) पुरःस्थापित हुआ।

07.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक मंगलवार, 15 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।